

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कंमाक :-एफ.2(2621)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/56876/11 जयपुर, दिनांक : 14/9/11

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुरेन्द्र कुमार सुथार पुत्र श्री मगन लाल सुथार, सूचना सहायक, जो कि कार्यालय तहसीलदार तहसील (राजस्व), बीकानेर को NIMS University Distance Education, JAIPUR से Bachlor in Library & Information Science के पत्राचार में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुरेन्द्र कुमार सुथार, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार (राजस्व), कार्यालय तहसीलदार तहसील (राजस्व), बीकानेर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. सुरेन्द्र कुमार सुथार, सूचना सहायक, कार्यालय तहसीलदार तहसील (राजस्व), बीकानेर।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन
संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-एफ.2(6050)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/I/56878/246 जयपुर, दिनांक : 14/9/16

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुरेश कुमार मीणा पुत्र श्री लाला राम मीणा, सूचना सहायक, जो कि कार्यालय ए.सी.पी. (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, प्रतापगढ़ को JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY, JAIPUR से MCA 2nd and 3rd Year के पत्राचार में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुरेश कुमार मीणा, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।


(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. ए.सी.पी. (उपनिदेशक), कार्यालय ए.सी.पी. (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, प्रतापगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. सुरेश कुमार मीणा, सूचना सहायक, कार्यालय ए.सी.पी. (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, प्रतापगढ़।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


तकनीकी निदेशक एवं पदेन
संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :- एफ.2(5833)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/156874/2016 जयपुर, दिनांक : 14/9/16

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सलोचना कंवर पुत्री श्री गजेन्द्र सिंह, सूचना सहायक, जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर को राजकीय महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर से एम.सी.ए. 4th एवं 5th सेमेस्टर के पत्राचार में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सलोचना कंवर, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

—sd—

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. CMHO, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. सलोचना कंवर, सूचना सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)